कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001
email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265615-7 Fax 0291-2612086

–:कार्यवाही विवरण:–

1284
12/09/23

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा बैठक दिनांक 21.08.2023 को उपायुक्त (जोन–1) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है :–

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 56/5 के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी श्रीमती बाबु देवी पत्नी श्री दयाराम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर योजना के भूखण्ड संख्या 35/ए, 40/ए एवं मूल 35 का भाग को 30 फुट सडक मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करने का निवेदन किया है। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त प्रार्थी द्वारा सडक प्रयोजनार्थ समर्पित भूमि को पूर्व अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये रोड नेटर्वक में सम्मलित करते हुए ले–आउट प्लान अतिरिक्त सडक भाग को समायोजित करने का निर्णय लिया गया।–

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम डिगाडी के उदाराम विहार योजना खसरा संख्या 71 के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरांत उदाराम विहार योजना खसरा संख्या 71 के शेष भाग को सम्मलित करते हुए उदाराम विहार योजना के संशोधित मानचित्र को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 152/1 के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त प्रकरण में आवेदित भूमि का आवासीय भूखण्ड का अनुपात 70 प्रतिशत से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 57 (पार्ट) के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त प्रकरण में आवेदित भूमि का आवासीय भूखण्ड का अनुपात 70 प्रतिशत से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण	अधिशाषी अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण नवनीत राज त्रिवेदी अधिशाषी अभियन्ता	सहायक नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण सहायक नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर	उपायुक्त (जोन–1) जोधपुर विकास प्राधिकरण उपायुक्त (जोन-1) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/1285-1290. दिनांकः- 12/09/2023

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन-1, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता जोन-1, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार जोन-1, जो.वि.प्रा. जोधपुर

सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर